

संख्या : 4992/33-1-99-536/99

प्रेषक,

डॉ. योगेन्द्र नारायण,  
मुख्य सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

गैत्रा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,  
डॉ. ओम प्रकाश  
सचिव

पंचायती राज अनुभाग - 1

लखनऊ : दिनांक : अगस्त 16, 1999

विषय : ग्राम निधि के संचालन के बारे में।

यदीय,

वृष्या सत्ता के विकेन्द्रीकरण एवं जनसहभागिता के संबंध में पंचायती राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 3467/33-1-99-222/99, दिनांक 1 जुलाई, 1999 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम निधि के संचालन के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गयी है कि भुगतान के आदेश सभ्य समिति से प्राप्त होने के उपरान्त ग्राम निधि से वनराशि ग्राम प्रधान एवं ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी जो ग्राम-पंचायत के सचिव भी हैं, के संयुक्त हस्ताक्षरों से प्रमाणित की जावेगी।

2. इस सम्बन्ध में भुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तत्परता से सुनिश्चित किया जावे और इस सम्बन्ध में स्थिति से शासन को भी अवगत कराया जावे।

भवदीय,  
डॉ. योगेन्द्र नारायण  
मुख्य सचिव

संख्या : 4992(1) 33-1-99, लखनऊ।

प्रतिपत्र विनियमित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त उप निदेशक, पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,  
डॉ. ओम प्रकाश  
सचिव